Speed Post

भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)

छठा तल, "बी" विंग, लोकनायक भवन,
खान मार्केट,
नई दिल्ली–110003
दिनांकः 08/04/2019

File No. RLM/6/2015/MHOM2/SEOTH/RU-III

सेवा में,

सचिव,
गृह मंत्रालय,
राजभाषा विभाग,
एन.डी.सी.सी. बिल्डिंग– II जय सिंह रोड,
नई दिल्ली, 110001

विषयः दिनांक 12–03–2019 को माननीय उपाध्यक्ष महोदया द्वारा सचिव, राजभाषा विभाग, एवं उप सचिव राजभाषा विभाग, के साथ हुई बैठक का कार्यवृत ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर आयोग के मुख्यालय में दिनांक 12–03–2019 को हुई बैठक का संदर्भ ग्रहण करें । उक्त बैठक का कार्यवृत इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है । आपसे अनुरोध है कि बैठक में लिए गए निर्णयों एवं आयोग द्वारा दिये गये सुझावों पर कार्यवाही करते हुए कार्यवाही रिपोर्ट इस आयोग को **30 दिन** के भीतर उपलब्ध कराने की कृपा करें ।

संलग्नः यथोपरि

भवदीय,
8/4/2019
(डॉ. ललित लट्टा)
निदेशक

प्रतिलिपिः

1- Shri. Ramcharan Lal Meena,
Joint Director (Rajbhasha),
Archaeological Survey of India,
Janpath New Delhi.
2. एस.ए.एस, एन.आई.सी, एन.सी.एस.टी वेबसाईट में अपलोड करें ।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.- RLM/6/2015/MHOM2/SEOTH/RU - III)

श्री रामचरण लाल मीणा, संयुक्त निदेशक (सेवानिवृत्त) राजभाषा द्वारा पदोन्नति से वंचित रखने के संबंध में दिए गए अभ्यावेदन के मामले में, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीय उपाध्यक्ष सुश्री अनुसूईया उइके की अध्यक्षता में दिनांक 12.03.2019 को आयोग में आयोजित बैठक का कार्यवृत।

बैठक की तिथि : 12.03.2019

बैठक में उपस्थित अधिकारी : परिशिष्ट

---

1. श्री रामचरण लाल मीणा, संयुक्त निदेशक (सेवानिवृत्त) राजभाषा द्वारा पदोन्नति से वंचित रखने व पूर्व पदों पर भी पदोन्नति में विलंब करने के संबंध में आयोग को अभ्यावेदन दिया गया था। अभ्यावेदक द्वारा बताया गया था कि उनकी सेवा एवं सेवा दस्तावेजों के पूर्ण होने पर भी डीपीसी मई 2016 में की गई जबकि वे चयनित सूची 2011-12 में थे। विभाग द्वारा उन्हें जानबूझकर पदोन्नति से वंचित रखा गया। जिस पर आयोग ने संज्ञान लेते हुए दिनांक 30.10.2018 को नोटिस जारी कर विभाग से जानकारी मांगी।
2. आयोग के पत्र प्रत्युत्तर में दिनांक 22.11.2018 के पत्र में केंद्रीय सचिवालय राजभाषा ने आयोग को अवगत कराया कि संयुक्त निदेशकों को निदेशक के पद पर पदोन्नति के संबंध में विभागीय पदोन्नति समिति की दिनांक 21.09.2016 को हुई बैठक में कुल 11 संयुक्त निदेशकों को तदर्थ आधार पर निदेशक के पद पर पदोन्नति पर विचार किया गया। समिति ने केवल 1 संयुक्त निदेशक को भर्ती नियमों के अनुसार पदोन्नति के पात्र पाया। अन्य संयुक्त निदेशकों का न्यूनतम 3 वर्ष का नियमित कार्यकाल नहीं था। प्राप्त जवाब की प्रति दिनांक 21.01.2019 को अभ्यावेदक को भेजी गई थी। किंतु अभ्यावेदक ने असंतुष्टि जाहिर करते हुए मामले में न्याय दिलाने का निवेदन किया।
3. तत्पश्चात आयोग द्वारा दिनांक 12.03.2019 को 4.00 बजे बैठक निर्धारित की गई थी। बैठक में राजभाषा विभाग से श्री शैलेश, सचिव और बी. एल. मीणा, उपसचिव उपस्थित हुए थे।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

4. आयोग द्वारा अभ्यावेदक को अपना पक्ष प्रस्तुत करने को कहा, इस पर अभ्यावेदक ने अवगत कराया कि वे वर्ष 2011-12 की चयनित सूची में थे इसकी डीपीसी मई 2016 में की गई। इसके पश्चात 2017 की चयनित सूची के अधिकारियों की डीपीसी मई 2017 में व 2018 में पदरिक्त होने से पूर्व डीपीसी की गई। विभाग द्वारा 5 साल बाद डीपीसी की गई थी अगर समय से डीपीसी होती तो वे वर्ष 2014 के अंत में निदेशक बन जाते।
5. राजभाषा विभाग के सचिव ने बताया, नियमित डीपीसी होने के बाद सबको नियमित पदोन्नति मिली है। पहले तदर्थ (Ad-hoc) के आधार पर डीपीसी हुई थी। अभ्यावेदक तदर्थ (Ad-hoc) के आधार पर वर्ष 2010 से संयुक्त निदेशक थे। इसमें किसी एक व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं है। उस समय के सभी लोगों की पदोन्नति उसी तरीके से हुई है।
6. अभ्यावेदक ने अवगत कराया कि वर्ष 2018 में विभाग द्वारा 4 बार डीपीसी किया गया। उनका नाम वर्ष 2011-12 की चयन सूची में था, वर्ष 2014 में उनका प्रमोशन होना था। उनके दस्तावेज में कोई कमी नहीं थी फिर भी उन्हें पदोन्नति नहीं दी गई।
7. अभ्यावेदक द्वारा आरटीआई से प्राप्त जानकारी के अनुसार रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग के पत्र संख्या – F-23011/16/2016-HR-II दिनांक 22 अगस्त 2016 के अनुसार श्री रघुनाथ सिंह दिनांक 31.01.2002 को सेवानिवृत्त हुए और उन्हें सेवा-निवृत्ति पश्चात, निदेशक (राजभाषा) के पद पर दिनांक 01.12.2000 से पदोन्नति दी गई थी।
8. विभाग द्वारा बताया गया कि श्री रामचरण लाल मीणा का पदोन्नति वर्ष 2014 से बन रहा था लेकिन ये वर्ष 2016 में नियमित कोटा में संयुक्त निदेशक बने और रिटायर भी हो गए। मई 2016 में हुई डीपीसी के अनुसार वर्ष 2019 में प्रमोशन के लिए योग्य हुए लेकिन वर्ष 2016 तक रिटायर हो गए थे। बैक डेट में कोई डीपीसी होता है तो उनको कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अनुसार पद मिलता है लेकिन कोई आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं होता है। वरिष्ठता क्रम को नियमित रखने के लिए रिकॉर्ड में पदोन्नति दी जाती है।
9. विभाग के प्रत्युत्तर में अभ्यावेदक ने अवगत कराया कि वर्ष 2011-12 में डीपीसी होता तो उनको निदेशक के रूप में पदोन्नति मिल जाती। वर्ष 2016 में डीपीसी हुई उसमें 3 साल सेवा का क्लॉज लगाया गया था जिससे कोई लाभ नहीं मिला। वर्ष 2002 दिसंबर में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने कहा था कि 8 माह सेवा कम है और पदोन्नति नहीं मिली। 7500 के स्केल पर 6 वर्ष की सेवा निर्धारित थी और साढ़े सात वर्ष की सेवा मांगी

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

गई थी। उस समय उनके अपील पर निर्देश हटा लिया गया फिर दो माह बाद उसे लागू कर दिया गया। समय पर डीपीसी नहीं किया जाना पूरी तरह से विभाग की जिम्मेदारी है।

10. आयोग ने दोनों पक्षों को सुनने तथा दस्तावेजों का परीक्षण करने के पश्चात निम्नलिखित अनुशंसा की -:

- अभ्यावेदक द्वारा योग्यता की शर्ते पूरी करने और सभी दस्तावेज पूर्ण रहने के बावजूद नियमित रूप से डीपीसी नहीं होने के कारण पदोन्नति के लाभ से वंचित होना पड़ा। ऐसे में विभाग द्वारा इन्हें नोशनल प्रमोशन दिया जाना चाहिए।
- समय से डीपीसी नहीं किया जाना विभाग की लापरवाही है। विभाग की लापरवाही का परिणाम कर्मी की पदोन्नति तथा अन्य लाभों पर नहीं पड़ना चाहिए। समय से पदोन्नति न मिलने से कर्मी अवसाद तथा कुंठा से ग्रस्त हो जाता हैं। जिसके कारण सरकारी कामकाज पर विपरीत असर पड़ता है। ऐसी स्थिति में कर्मी जिस वर्ष की नियुक्तियों के विरूद्ध नियमित किया जाता है तो उसे उसी वर्ष से नियमित माना जाना चाहिए न कि डीपीसी होने की तारीख से। इस मामले में श्री रामचरण मीणा को वर्ष 2011-12 की रिक्तियों के विरूद्ध चयन सूची में शामिल किया गया है। इसलिए उनकी सेवा को वर्ष 2011-12 से ही नियमित मानकर पदोन्नति दी जानी चाहिए न कि डीपीसी होने की तारीख से ताकि उन्हें पदोन्नति सहित अन्य लाभ प्राप्त हो सके।
- ऐसे संदर्भों में जो कर्मी के पदोन्नति/ आर्थिक लाभों आदि से जुड़े हैं वहां कैडर कंट्रोलिंग की जिम्मेदारी अवश्य तय होनी चाहिए।
- विभाग द्वारा आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग के पत्र संख्या – F-23011/16/2016-HR-II दिनांक 22 अगस्त 2016 के अनुसार श्री रघुनाथ सिंह दिनांक 31.01.2002 को सेवानिवृत्त हुए और उन्हें सेवा-निवृत्ति पश्चात, निदेशक (राजभाषा) के पद पर दिनांक 01.12.2000 से पदोन्नति दिया गया है। इस प्रकार इस मामले में भी कार्यवाही की जाए।
- राजभाषा विभाग द्वारा आयोग को कार्यवृत्त प्राप्त होने के पश्चात अपने द्वारा की गई कार्यवाही से 15 दिनों के अंदर अवगत कराएं।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

परिशिष्ट

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.- RLM/6/2015/MHOM2/SEOTH/RU - III)

श्री रामचरण लाल मीणा, संयुक्त निदेशक (सेवानिवृत्त) राजभाषा द्वारा पदोन्नति से वंचित रखने व पूर्व पदों पर भी विलंब करने के संबंध में दिए गए अभ्यावेदन के मामले में, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीय उपाध्यक्ष सुश्री अनुसूईया उइके की अध्यक्षता में दिनांक 12.03.2019 को आयोग में आयोजित सिटिंग में उपस्थित अधिकारियों/ कर्मचारियों की सूची

- **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग**
  1. सुश्री अनुसूईया उइके, माननीय उपाध्यक्ष महोदया
  2. श्री ए. के सिंह, सचिव
  3. डॉ ललित लट्टा, निदेशक
  4. श्री गौरव कुमार, माननीय उपाध्यक्ष के निजी सचिव
  5. श्री आलोक कुमार द्विवेदी, परामर्शक
- **गृह मंत्रालय के अधिकारी**
  1. श्री शैलेश, सचिव, राजभाषा विभाग
  2. श्री बी. एल मीणा, उप सचिव, राजभाषा विभाग
- **अभ्यावेदक**

  श्री रामचरण लाल मीणा